झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–871/2021– 20/21-22 प्र॰स्वी॰/राँची, दिनांक 10-12-2021

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सरकार सचिव।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्षित

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग परिक्षेत्राधीन विभिन्न योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य हेतु रू० 15.30 लाख (रूपये पन्द्रह लाख तीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के प्रक्षेत्राधीन विभिन्न योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य हेतु रू० 15.30 लाख (रूपये पन्द्रह लाख तीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इसके अन्तर्गत निम्नांकित योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य कराया जायेगा :–

(i) **उसरी वीयर योजना** :– योजना अन्तर्गत नहर की कुल लम्बाई 8.266 कि०मी० एवं वीयर की कुल लम्बाई 40 मी० है। नहर में वांछित जलश्राव की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके लिए पुनरूद्धार कार्य कराये जाने हेतु सर्वेक्षण कार्य।

(ii) **गोलाई वीयर योजना** :– योजना अन्तर्गत बांयीं मुख्य नहर की लम्बाई 3.05 कि०मी० एवं दांयी मुख्य नहर की लम्बाई 10.73 कि०मी० है। नहर तल में काफी सिल्ट एवं जंगल–झाड़ी उग आया है, जिसके कारण नहरों का जलश्राव कम हो गया है। फलतः सिंचाई उपलब्धि अंशतः बाधित होती है। नहर का बैंक भी कई जगह से टूट गया है। इस योजना के अपस्ट्रीम एवं नहर का सिल्ट हटाने, नहर हेतु L-Section, Cross Section लेने तथा Outlet, Inlet, Cross drainage, S.L.R. Bridge, Spillway, Aqueduct, Falls, Guardwall, Service Road एवं Canal bank आदि की मरम्मति कार्य कराना है, जिसके लिए सर्वेक्षण का कार्य।

(iii) **बौधा जलाशय योजना** :– योजना अन्तर्गत मुख्य नहर की लम्बाई 5.12 कि०मी० एवं शाखा मुख्य नहर की लम्बाई 1.98 कि०मी० है। नहर तल में काफी सिल्ट एवं जंगल उग आया है, जिसके कारण नहरों का जलश्राव कम हो गया है। फलतः सिंचाई

उपलब्धि अंशतः बाधित होती है। नहर का बैंक भी कई जगह से टूट गया है। इस योजना के अपस्ट्रीम एवं नहर का सिल्ट हटाने, नहर हेतु L-Section, Cross Section लेने तथा Outlet, Inlet, Cross drainage, S.L.R. Bridge, Spillway, Aqueduct, Falls, Guardwall, Service Road एवं Canal bank आदि की मरम्मति कार्य कार्य कराना है, जिसके लिए सर्वेक्षण का कार्य।

(iv) **लोटिया जलाशय योजना** :– योजना अन्तर्गत बायें एवं दायें मुख्य नहर की लम्बाई क्रमशः 10.24 कि०मी० एवं 7.16 कि०मी० है तथा जलश्राव 35 और 20 क्यूसेक है। बायें मुख्य नहर के कि०मी० 0.122 से उच्च स्तरीय नहर निकलता है, जिसकी लम्बाई 2.83 कि०मी० है तथा इसी मुख्य नहर के कि०मी० 0.518 से शाखा नहर सं०–1 तथा कि०मी० 1.58 से शाखा नहर सं०–2 निकलती है, जिसकी लम्बाई क्रमशः 0.884 कि०मी० और 2.59 कि०मी० है। दायीं मुख्य नहर के कि०मी० 3.66 से सूरजपुरा वितरणी निकलती है, जिसका लम्बाई 4.88 कि०मी० है।

इस योजना के विभिन्न नहरों के विभिन्न बिन्दुओं पर संरचनाओं का निर्माण किया गया है। जो काफी पुराना होने के कारण जर्जर स्थिति में है। इनका मरम्मति एवं पुनर्निर्माण कराना अत्यावश्यक है तथा योजना के समस्त नहरों का पक्कीकरण (लाईनिंग) कराना भी अत्यन्त जरूरी है, क्योंकि नहर के लाईनिंग हो जाने से नहर द्वारा सिंचाई हेतु जल नहर के अन्तिम छोर तक सुगमता पूर्वक ले जाया जा सकता है तथा पानी का बर्बादी भी कम होगी, जिसके लिए सर्वेक्षण का कार्य।

(v) **दुलकी जलाशय योजना** :– योजना अन्तर्गत बायीं मुख्य नहर की लम्बाई 11.38 कि०मी० एवं दायीं मुख्य नहर की लम्बाई 2.50 कि०मी० है। नहर तल में काफी सिल्ट एवं जंगल उग आया है, जिसके कारण नहरों का जलश्राव कम हो गया है। फलतः सिंचाई उपलब्धि अंशतः बाधित होती है। नहर का बैंक भी कई जगह से टूट गया है। इस योजना के अपस्ट्रीम एवं नहर का सिल्ट हटाने, नहर हेतु L-Section, Cross Section लेने तथा Outlet, Inlet, Cross drainage, S.L.R. Bridge, Spillway, Aqueduct, Falls, Guardwall, Service Road एवं Canal bank आदि की मरम्मति कार्य कराना है, जिसके लिए सर्वेक्षण का कार्य।

4. उपर्युक्त कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति के लिये अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग द्वारा निम्नांकित प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र०	नियंत्रण पदाधिकारी	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य का नाम	राशि (लाख में)
1.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजरीबाग / अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग	जलपथ प्रमण्डल, बरही	उसरी वीयर योजना के पुनरूद्धार कार्य हेतु सर्वेक्षण कार्य	4.67
2		जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग	दुलकी जलाशय योजना के पुनरूद्धार कार्य हेतु सर्वेक्षण कार्य	2.62
3			लोटिया जलाशय योजना के पुनरूद्धार कार्य हेतु सर्वेक्षण कार्य	4.57
4			बौधा जलाशय योजना के पुनरूद्धार कार्य हेतु सर्वेक्षण कार्य	1.24
5			गोलाई वीयर योजना के ERM कार्य हेतु सर्वेक्षण कार्य	2.20
			कुल :–	**15.30**

5. यह कार्य वर्ष 2021–22 में पूर्ण कराये जाने का कार्यक्रम है।
6. इस कार्य के लिये राशि की निकासी संबंधित कोषागार (बरही / हजारीबाग) से की जायेगी।
7. इस कार्य पर होने वाला व्यय–

   मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –001– निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष–75–सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान, 49–आर्थिक सहायता के अंतर्गत विकलनीय होगा।
8. वर्ष 2021–22 के बजट में सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है–

   (i) शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 001 – 75 – 00 – 06 – 49 में रू० 200.00 लाख
9. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।
10. प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
11. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायगा।
13. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

09/12/21.

(प्रशांत कुमार)

सरकार के सचिव

E:\Note 5\VKumar\Sanlekh\Survey_30.09.2021.doc

पत्रांकः– 2 / पी०एम०सी० / कार्य–871 / 2021– 20/20-21 प्र०स्वी० / राँची, दिनांक 10.12.2021

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु / योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.12.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2 / पी०एम०सी० / कार्य–871 / 2021– 20/20-21 प्र०स्वी० / राँची, दिनांक 10.12.2021

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग कोषागार / बरही कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.12.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2 / पी०एम०सी० / कार्य–871 / 2021– 20/20-21 प्र०स्वी० / राँची, दिनांक 10.12.2021

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1 / 2, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग / कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग / कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, बरही / ई० सुरेश प्रसाद भगत, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु / ~~वेब सूचना~~ प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / उप सचिव (अभियंत्रण) / प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.12.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2 / पी०एम०सी० / कार्य–871 / 2021– 20/20-21 प्र०स्वी० / राँची, दिनांक 10.12.2021

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

10.12.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2 / पी०एम०सी० / कार्य–871 / 2021– 20/20-21 प्र०स्वी० / राँची, दिनांक 10.12.2021

प्रतिलिपि :– मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

10.12.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव